PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Friday 31st January 2014, Page: 8
Width: 18.44 cms, Height: 18.96 cms, a3, Ref: pmin.2014-01-31.33.97

सस्ती जिंदगी बनाम महंगा इलाज

भारत डोगरा
स्वतंत्र टिप्पणीकार

अंतरराष्ट्रीय मंचों विशेषकर विश्व व्यापार संगठन के मंच पर यदि भारत दवा क्षेत्र में एकाधिकार व मुनाफाखोरी के विरुद्ध आवाज बुलंद करे तो उसे अनेक विकासशील व निर्धन देशों का अच्छा समर्थन मिल सकता है।

ज्यादा दिन नहीं हुए, जब **गंभीर बीमारियों** से पीड़ित मरीज भारत की ओर इस उम्मीद से देखने लगे थे कि यहां से उन्हें जीवनरक्षक दवा सस्ती कीमत पर मिल जाएगी। इसका एक विश्व स्तर पर चर्चित उदाहरण वर्ष 2001 में सामने आया, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एड्स की दवा 15000 डॉलर प्रति वर्ष प्रति मरीज की कीमत पर बेचने से अनेक देशों विशेषकर अफ्रीका के देशों में अनेक मरीज ऐसी दर्दनाक मौत की ओर जा रहे थे, जिससे बचना संभव था। इस संकट की स्थिति में एक भारतीय दवा निर्माता कंपनी के अध्यक्ष ने इस दवाई को 350 डॉलर, यानी बाजार की कीमत से 3 फीसद से भी कम में देने का प्रस्ताव दिया। इस तरह जो सस्ती दवा उपलब्ध हुई, उससे हजारों लोगों का जीवन बच सका।

उसी कंपनी के अध्यक्ष ने हाल में कहा है कि उनकी कंपनी सस्ती दवा का निर्यात कर जीवन बचा सकी, क्योंकि उस समय भारत के पेटेंट कानून इसके अनुकूल थे। पर इस समय यह संभव नहीं है कि क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करने के साथ ही भारत ने नया पेटेंट कानून बनाना स्वीकार किया जिससे दवा कंपनियों के लिए बहुत-सी नई दवाएं सस्ती उपलब्ध करवाना संभव नहीं रहा। पेटेंट कानून की जरूरत को मूलतः स्वीकार करते हुए भी इस तरह की बीच की राह निकाली जा सकती है कि जिसने दवा का आविष्कार किया है, उसे रॉयल्टी दे दी जाए पर सस्ती दवा बनाने की राह में बाधा न पहुंचे।

हाल के समय में स्थितियां और प्रतिकूल हुई हैं, क्योंकि भारतीय दवा कंपनियों को काफी तेजी से विदेशी कंपनियां खरीद रही हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियां व वैक्सीन बनाने वाले संस्थान पहले ही काफी पीछे हट चुके हैं। अब यदि सस्ती दवा बनाने वाली अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियां भी **बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों द्वारा खरीद ली** गईं या उनसे गठबंधन कर लिया, तो भारत की **सस्ती दवा बनाने की क्षमता और इसे विश्व** बाजार में जरूरतमंदों तक पहुंचाने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इतना ही नहीं, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे किसी न किसी तिकड़म से अपनी दवा के पेटेंट की अवधि को और बढ़ा लें। इस तरह पेटेंट की मूल निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी किसी दवा का सस्ता उत्पादन संभव नहीं होगा। इस प्रतिकूल स्थिति में भारत की सरकार भी दवाओं की कीमत नियंत्रण की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती

नजर आ रही है। हालांकि काफी लंबे इंतजार **के बाद दवा कीमत नियंत्रण के नए आदेश वर्ष** 2013 में सरकार ने जारी कर दिए थे, पर इन आदेशों में इतनी कमियां हैं कि वे जीवन रक्षक **व अन्य महत्वपूर्ण दवाओं की न्यायसंगत कीमत पर उपलब्धि सुनिश्चित करने में** असमर्थ हैं। इस दवा आदेश की परिधि में कुल दवाओं की मात्र 20 प्रतिशत दवाएं ही आ रही हैं। अनेक अहम जीवन रक्षक दवाएं इसके दायरे से बाहर हैं। कुछ दवाओं का विशेष डोज ही कवर हुआ है जिससे दूसरे डोज की दवाईयां बनाकर महंगी कीमत पर बेचने का द्वार खुला छोड़ दिया गया।

इन प्रवृत्तियों के चलते सरकार की मूल भावना पर ही संदेह होता है कि वह न्यायसंगत कीमत पर दवा उत्पादन व उपलब्धि की रक्षा करना चाहती भी है या नहीं, अथवा वह मोटे मुनाफे की उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहती है। **पिछले एक दशक का इतिहास देखें तो लगता** है जैसे सरकार न्यायसंगत कीमत की दवाओं के उत्पादन व उपलब्धि के लक्ष्य से दूर हट रही है। चूंकि इस संदर्भ में भारतीय दवा उद्योग का विश्व स्तर पर एक अहम स्थान है, अतः इन **प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम केवल अपने देश में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर भुगतने पड़ेंगे। करोड़ों मरीजों को सस्ती जीवनरक्षक दवाएं मिलने में पहले से अधिक कठिनाई होगी। जरूरतमंदों की फार्मेसी के रूप में हमारे देश के** दवा उद्योग को जो बड़ी प्रतिष्ठा मिली है, वह क्षतिग्रस्त होगी।

सरकार चाहे तो अभी भी स्थिति संभाल सकती है, **ताकि भारत की** प्रतिष्ठा विश्व के जरूरतमंद लोगों की फार्मेसी के रूप में बनी रहे या पहले से **भी अधिक मजबूत हो। इसमें** सरकारी तथा निजी क्षेत्र की दोनों कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार व उसके अधिकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मर्जी के आगे न झुकें।

अंतरराष्ट्रीय मंचों विशेषकर विश्व व्यापार संगठन के मंच पर यदि भारत दवा क्षेत्र में एकाधिकार व मुनाफाखोरी के विरुद्ध **आवाज बुलंद करे तो उसे अनेक विकासशील व निर्धन देशों का अच्छा** समर्थन मिलने की उम्मीद है। यह विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि यह आवाज बुलंद हो तथा इस आधार पर अन्यायपूर्ण पेटेंट कानूनों में बदलाव तथा विश्व व्यापार संगठन के नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएं। सवाल यह है कि क्या भारतीय सरकार विश्व स्तर की इस अग्रणी भूमिका को निभाने के लिए आगे आएगी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को हावी होने देगी?

जनमत